

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10042023-245059
SG-DL-E-10042023-245059

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 4
No. 3]	DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945	[N. C. T. D. No. 4

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023

F.3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/27.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 61 और धारा 86(1)(बी) के साथ पठित, धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों और पिछले प्रकाशन के बाद, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद् द्वारा, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2017 (इसके बाद "प्रमुख विनियम" के रूप में संदर्भित) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम निर्माण करता है:

1.0 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन विनियमों को *दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ)* के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों (प्रथम संशोधन) *विनियम, 2023* कहा जा सकता है और ये 1/04/2023 से लागू होंगे।

2.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 72 में नया प्रावधान:

"बशर्ते कि संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर आयकर रिटर्न से प्राप्त की जाएगी।"

3.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 77 में जोड़ा गया नया प्रावधान:

" बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज की भारित औसत दर भुगतान किए गए ब्याज, सभी बैंक शुल्कों, सिंडिकेशन शुल्क और संबंधित ऋणों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए उस वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अन्य शुल्कों को शामिल करके निकाली जाएगी।"

4.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 124 में संशोधन:

"(124) वितरण लाइसेंसधारी के नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) की लागत की गणना *दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) विनियम, 2021* में यथा विनिर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत अधिप्राप्ति की अनुमोदित लागत और उसके बाद के संशोधनों के आधार पर की जाएगी:

बशर्ते कि आरपीओ में कमी की मात्रा के लिए जुर्माना टू-अप वर्ष के लिए पावर एक्सचेंज (आईईएक्स) में खोजे गए भारित औसत आरईसी मूल्य का 10% होगा।

आगे बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत अधिप्राप्ति और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद के लिए वास्तविक खर्च आयोग द्वारा टू-अप किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि यह आयोग विशिष्ट नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना विनियमों में पवन आरपीओ, अन्य आरपीओ और एचपीओ के लिए लक्ष्य निर्दिष्ट करेगा:

बशर्ते यह भी कि आरपीओ लक्ष्यों को पूरा न करने के लिए जुर्माना, जैसाकि इस आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट किया गया है, संबंधित वित्तीय वर्ष के टू-अप के दौरान एआरआर में समायोजित किया जाएगा।"

राजेश दाँगी, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

Delhi, the 6 April, 2023

**Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff)
(First Amendment) Regulations, 2023**

F.3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/27.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Section 61 and Section 86(1)(b) of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the *Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017* (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):

1.0 Short Title and Commencement:

(1) These Regulations may be called the *Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2023* and shall be applicable from 1/04/2023 onwards.

2.0 New Proviso in Regulation 72 of Principal Regulations:

“Provided that Effective Tax Rate of the respective Financial Year shall be derived from the Income Tax returns.”

3.0 New Proviso added in Regulation 77 of Principal Regulations:

“Provided that Weighted Average Rate of Interest for any Financial Year shall be arrived by including the Interest Paid, all Bank Charges, Syndication Fee and other Charges paid during that year for Raising and Maintaining of the respective loans.”

4.0 Amendment in Regulation 124 of Principal Regulations:

“(124) The cost of Renewable Purchase Obligation (RPO) of the Distribution Licensee shall be computed on the basis of approved cost of power procurement from Renewable Energy Sources as specified in the *Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2021* and subsequent amendments thereof:

Provided that penalty for quantum of shortfall in RPO shall be 10% of weighted average REC price discovered at Power Exchange (IEX) for the Trued-up Year.

Provided further that the actual expenses for procurement of power from Renewable Energy Sources and purchase of Renewable Energy Certificates shall be trued up by the Commission:

Provided also that the Commission will specify the targets for Wind RPO, Other RPO and HPO in the Business Plan Regulations for a specific Control Period:

Provided also that the penalty for non fulfilment of RPO targets, as specified by the Commission in its Tariff Order, shall be adjusted in the ARR during True up of the relevant Financial Year.”

RAJESH DANGI, Secy.